सिद्धान्त के विपरीत होगा। वर्तमान में खसरा नम्बर 252/2 कर रकबा 1.17 हैक्टयर व खसरा नम्बर 253/695 का रकबा 0.22 हैक्टयर जमाबंदी में दर्ज है। दोनो खसरा नम्बरों का योग 1.39 हैक्टयर होता है। जबकि तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित रकबा खसरा नम्बर 252/2 का रकबा 0.12 हैक्टयर व खसरा नम्बर 253/695 का रकबा 1.05 हैक्टयर करने पर दोनो खसरा नम्बरों का योग 1.17 हैक्टयर ही होता है। इस प्रकार कुल रकबा 0.22 हैक्टयर कम हो जाता है। न्यायालय द्वारा किसी ग्राम के क्षेत्रफल को न तो कम किया जा सकता है और ना ही उसे बढाया जा सकता है। इसलिये तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सायलान को कोई अनुतोष दिया जाना या दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत लिपकीय गलती को ही दुरूस्त किया जा सकता है। नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत नहीं की जा सकती।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भ राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार करनेयोग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24–02–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।